न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री महेश चन्द्र मान आर. ए. एस.

प्रा0 पत्र	तारीख रजू	तारीख निर्णय
2/41	13.04.2018	23.04.2019

उनवान

1. श्रीमती संतोष शर्मा पुत्री स्व0 श्री बालीराम पत्नी श्री रामवतार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी हाल मकान नम्बर 3/714 काला कुंआ अरावली विहार अलवर तहसील व जिला अलवर।

.... प्रार्थिनी

बनाम

1. राकेश कुमार,
2. कृष्ण कुमार,
3. राजकुमार पुत्रांन स्व0 श्री मनोहरलाल
4. शीला देवी पत्नी श्री कैलाशचन्द शर्मा,
5. कैलाशचन्द शर्मा पुत्र स्व0 श्री बालीराम जातियान ब्राह्मण निवासियान ग्राम रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला अलवर।
6. विवके भण्डारी पुत्र श्री रजनीश कुमार भण्डारी जाति पंजाबी निवासी 1235/10 गोविन्दपुरी कालकाजी नई दिल्ली।
7. राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी तहसीलदार रामगढ जिला अलवर राज0।

.... अप्रार्थीगण

(प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषकगण
1. श्री सुनील यादव एडवोकेट – प्रार्थिनी
2. श्री जगदीशचन्द सतीजा एडवोकेट – अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि बन्दोबस्त सम्वत 2058–2070 में आराजी साबिक खसरा नम्बर 180 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 181 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 183 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, 211 मिन रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा जिनके हाल खसरा नम्बर 263 रकबा 0.65, 264 रकबा 1.14, 266 रकबा 0.71, 321 रकबा 0.31, 322 रकबा 0.32 हैक्ट0 बने है, वाके ग्राम पूठी तहसील रामगढ की आराजी है जो विवादित है। मिन प्रार्थिनी व असल प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 5 व तरतीबी प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। मिन वादनी व तरतीबी प्रतिवादनी मृतक बालीराम की पुत्री है एवं असल प्रतिवादी सं0 1 ला0 3 मृतक बालीराम के पौत्र है, जो बालीराम के पुत्र मृतक मनोहरलाल के पुत्रांन है, एवं असल प्रतिवादी सं0 4 मृतक बालीराम की पुत्रवधु व असल प्रतिवादी सं0 5 मृतक बालीराम का पुत्र है। मिन वादनी व असल प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 5 व तरतीबी प्रतिवादीगा की पुस्तैनी

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Scanned by CamScanner

आराजी कस्बा रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला अलवर में स्थित थी, जिस पुश्तैनी आराजी का बेचान कर हमारे पूवर्जो ले गत खसरा नम्बर 14 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 19 रकबा 1 बीघा, 20 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 22 रकबा 2 बीघा, 24 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 25 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 180 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 181 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 183 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, 211 मिन रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 19 रकबा 0.30, 25 रकबा 0.25, 26 रकबा 0.54, 28 रकबा 0.51, 29 रकबा 0.53, 31 रकबा 0.58, 283 रकबा 0.65, 284 रकबा 0.14, 266 रकबा 0.71, 321 रकबा 0.31, 322 रकबा 0.32 हैक्ट0 वाकै ग्राम पूठी बने है। जो ग्राम पूठी तहसील रामगढ कस्बा रामगढ की सीमा से लगती हुई खरीद की गई। जिसमें से आराजी साबिक खसरा नम्बर 14 रकबा रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 19 रकबा 1 बीघा, 20 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 22 रकबा 2 बीघा, 24 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 25 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 19 रकबा 0.30, 25 रकबा 0.25, 26 रकबा 0.54, 28 रकबा 0.51, 29 रकबा 0.53, 31 रकबा 0.58 हैक्ट0 ग्राम पूठी तहसील रामगढ का बेचान पूर्व में हमारे पूर्वजो द्वारा कर दिया गया तथा विवादित आराजी वर्तमान में शेष बची है। उक्त विवादित आराजी मिन वादनी तथा असल प्रतिवादी सं0 1 ला0 5 व तरतीबी प्रतिवादीगण की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की पैत्रक दादालायी आराजी है। जिस आराजी के साबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2037–40में मिन वादनी के पिता श्री बालीराम के नाम का अंकन हो रहा है। विवादित आराजी में मिन वादनी का 1/6 हिस्सा तथा असल प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण प्रत्येक का हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी है। एवं इसी कदर मिन वादनी तथा असल प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का मौके पर शामलात में कब्जा काश्त तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी आदि में असल प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 4 व 6 का नाम दर्ज है। विवादित आराजी मिन वादनी तथा असल प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिनका शामलात में मौके पर कब्जा काश्त है व राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में असल प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 4 व 6 के नाम दर्ज है। विवादित आराजी मिन वादनी व असल प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को हमारे पूर्वजो की विरासत से प्राप्त हुई है। विवादित आराजी अबट है, जिसका अभी तक बहमी अथवा कानूनी तौर पर लिखित अथवा जुबानी तौर पर मिन विभाजन नही हुआ है। मिन वादनी तथा असल प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण शामलात में विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है, लेकिन कुछ समय से मिन वादनी के पारिवारिक सदस्य असल प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 5 के मन में मिन वादनी के प्रति बेईमानी व

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

Scanned by CamScanner

दुर्भावना आ गई है। इस कारण से असल प्रतिवादीगण एक साथ मिलकर जबरन कब्जा कर तथा बिना विभाजन प्लाटिंग व निर्माण कर उक्त विवादित आराजी को विक्रय कर मिन वादनी को नुकसान पहुचाना चाहते है।

अतः प्रार्थना है कि ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाकर अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वो विवादित आराजी बन्दोबस्त सम्वत 2059-2070 में आराजी साबिक खसरा नम्बर 180 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 181 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 183 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, 211 मिन रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा जिनके हाल खसरा नम्बर 263 रकबा 0.65, 264 रकबा 1.14, 266 रकबा 0.71, 321 रकबा 0.31, 322 रकबा 0.32 हैक्ट0 बने है, वाके ग्राम पूठी तहसील रामगढ जिला अलवर में वादनी के उसके उक्त हिस्से से किसी प्रकार बेदखल ना करे, तथा वादनी को उसके कब्जे व कुल कार्य कास्तकारी फसल बोने, जोतने, काटने, समेटने, ले जाने आदि में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत ना करे। उक्त विवादित आराजी में कोई प्लाटिंग व निर्माण कार्य न करे, बिना विभाजन किसी प्रकार रहन, बय हिब्बा आदि हस्तान्तरित ना करे, राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि मृतक बालीराम की कस्बा रामगढ में कोई पुश्तैनी आराजी नही थी और न ही किसी पुश्तैनी आराजी को बेचान कर प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी को खरीद किया गया। मृतक बालीराम की आराजी साबिक खसरा नम्बर 14 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 19 रकबा 1 बीघा, 20 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 22 रकबा 2 बीघा, 24 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 25 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा जिसके हाल सैटलमेन्ट सम्वत 2068 में खसरा नम्बर 19 रकबा 0.30, 25 रकबा 0.25, 26 रकबा 0.54, 28 रकबा 0.51, 29 रकबा 0.53, 31 रकबा 0.58 हैक्ट0 कायम हुए है, का बेचान मृतक बालीराम ने अपने जीवनकाल में घरू जरूरत की पूर्ति हेतु दिनांक 14.10.81 को कजोडीराम पुत्र रामजीलाल भाली निवासी रामगढ, मु0 टुण्डो पुत्री सवाई मेव, हबीब खां, कमरूदीन पुत्रान सरजीत मेव निवासिशान पूठी को विक्रय कर दिया था व उनके हक में इन्तकाल सं0 154, 547, 548 स्वीकार हुए उससे प्राप्त प्रतिफल से मृतक बालीराम ने परिवार के छोटे बच्चों को पढाया और प्रार्थिया के विवाह में हुए कर्ज को चुकाया। आराजी खसरा नम्बर साबिक 180 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 181 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 211 मिन रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा किता 3 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा का 1/2 हिस्सा जाके साथ पूठी

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

Scanned by CamScanner

तहसील रामगढ मृतक बालीराम की स्वअर्जित आय से दिनांक 23.05.67 को सद्भाविक तरीक पर नन्नू पुत्र गौरा कुम्हार से खरीद की थी तथा खसरा नम्बर 183 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम पूठी को रसूला खां गेव से दिनांक 15.06.1964 को खरीदा था और प्रार्थिया द्वारा इसी आराजी के बाबत दावा दायर किया गया है जिससे स्पष्ट है कि दावा अन्तर्गत आराजी पुश्तैनी अथवा दादालाई की आराजी नही है। बल्कि उक्त आराजीयात मृतक बालीराम की स्वअर्जित आय से खरीदशुदा तन्हा कब्जे काश्त खातेदारी की सम्पति है। जिसके सम्बन्ध में बालीराम को सम्पूर्ण रूप से हक वो अधिकार थे। मृतक बालीराम के द्वारा दिनांक 06.08.86 को प्रथम व अन्तिम पंजीकृत वसीयत अपनी स्वअर्जित चल अचल सम्पत्ति की उनके पौत्र अप्रार्थी सं0 1 ला0 3 जिनके द्वारा मृतक बालीराम अर्थात अपने बाबाजी की सेवाएँ की गई थी, हक में उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर की थी तत्पश्चात दिनांक 29 अगस्त 1986 को बालीराम का स्वर्गवास हो गया। तदुपरान्त वसीयत के अनुसार बालीराम की विरासत का इन्तकाल सं0 728 दिनांक 21.07.87 को नियमानुसार दर्ज किया गया। जिसकी बखूबी जानकारी प्रार्थिया व तरतीबी प्रतिवादीगण ओर मृतक बालीराम के अन्य निकट सम्बन्धियों को आरम्भ से ही चली आ रही है। मृतक बालीराम ने अपने परिवारजन को वसीयत के बारे में अच्छी तरह बता दिया था और किसी को कोई आपत्ति नही थी। खसरा नम्बर 180 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा व 181 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 211 मिन रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा जिनके हाल नम्बर 263 रकबा 0.65, 264 रकबा 1.14 हैक्ट0, 321 रकबा 0.31, 322 रकबा 0.32 बने है। वाके ग्राम पूठी जिसमें मिन अप्रार्थी सं0 1 ला0 3 1/2 हिस्से के एवं 1/2 हिस्सा सहकाश्तकार हीरालाल पुत्र चन्दू के कब्जे काश्त खातेदारी की थी, के द्वारा अन्तर्गत धारा 53 (2) आरटीएक्ट के तहत विभाजन की कार्यवाही की गई है, जिसके तहत दिनांक 16.01.12 को बंटवारा किया जिस विभाजन के मुताबिक खसरा नम्बर 264 रकबा 1.14 हैक्ट0 तन्हा हीरालाल पुत्र चन्दू को दी गई जो मौजूदा खरीददार अप्रार्थी सं0 6 को बेचान किया जा चुका है तथा शेष आराजी खसरा नम्बर 263, 266, 321, 322 तन्हा अप्रार्थी सं0 1 ला0 3 की तन्हा कब्जे काश्त खातेदारी है जिसमें खसरा नम्बर 266 अलग से खरीदशुदा है इस प्रकार राजस्व अभिलेख में विभाजन एवं खरीदशुदा का इन्द्राज में अप्रार्थी सं0 1 ला0 3 को खातेदार दर्ज किया हुआ है। मिन अप्रार्थी सं0 1 ला0 3 द्वारा अपने हक व अधिकार के अन्तर्गत ख0 नं0 321 रकबा 0.31, 322 रकबा 0.32 किता 2 रकबा 0.63 हैक्ट0 वाके ग्राम पूठी को अप्रार्थी सं0 4 को विक्रय कर दिया और अप्रार्थी सं0 4 सद्भावी क्रेता की हैसियत से काबिज होकर काश्त कर रही है और मौके पर उनका कब्जा है तथा ख0 नं0 263 व

Scanned by CamScanner

266 के मिन अप्रार्थी से0 1 ला0 3 आज भी खातेदार काबिज काश्तकार है। वसियत को मौजूदा वाद में कोई चुनौती नही दी गई है और नही वसियत के आधार पर जो इन्तकाल सं0 728 दर्ज किया गया उसे कोई चुनौती नही दी गई है। न कोई कानूनी कार्यवाही की गई है तथा प्रार्थिया कानूनन मजाजदावी नही है। मिन अप्रार्थी सं0 1 ला0 3 ने जों बयनामा अप्रार्थी सं0 4 को दिनांक 19.02.14 को किया उसे भी किसी प्रकार की चुनौती नही दी गई है। प्रार्थिया द्वारा 53 (2) आरटीएक्ट के तहत हुए विभाजन को भी कोई चुनौती नही दी गई हैं। ऐसी सूरत में प्रार्थिया का दावा दायर करने का अधिकार प्राप्त नही है न वह कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारणी है। स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष भी प्रार्थिया रिकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ प्राप्त करने का अधिकारिणी नही है। प्रार्थिया कानूनन मजदावी नही है प्रार्थिया ने मिथ्या व बेबुनियाद दावा करके मिन अप्रार्थीगण को नाहक तंग परेशान किया है व खर्चे से जेरबार किया है। इसलिए दावा प्रार्थिया खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष के विद्वान वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि बन्दोबस्त सम्वत 2058–2070 में आराजी साबिक खसरा नम्बर 180 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 181 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 183 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, 211 मिन रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा जिनके हाल खसरा नम्बर 263 रकबा 0.65, 264 रकबा 1.14, 266 रकबा 0.71, 321 रकबा 0.31, 322 रकबा 0.32 हैक्ट0 बने है, वाके ग्राम पूठी तहसील रामगढ प्रार्थिनी व असल प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 5 व तरतीबी प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादनी व तरतीबी प्रतिवादनी मृतक बालीराम की पुत्री है एवं असल प्रतिवादी सं0 1 ला0 3 मृतक बालीराम के पौत्र है, जो बालीराम के पुत्र मृतक मनोहरलाल के पुत्रांन है, एवं असल प्रतिवादी सं0 4 मृतक बालीराम की पुत्रवधु व असल प्रतिवादी सं0 5 मृतक बालीराम का पुत्र है। वादनी व असल प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 5 व तरतीबी प्रतिवादीगा की पुश्तैनी आराजी कस्बा रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला अलवर में स्थित थी, जिस पुश्तैनी आराजी का बेचान कर हमारे पूवर्जो से गत खसरा नम्बर 14 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 19 रकबा 1 बीघा, 20 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 22 रकबा 2 बीघा, 24 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 25 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 180 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 181 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 183 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, 211 मिन रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 19 रकबा 0.30, 25 रकबा 0.25, 26 रकबा 0.54, 28 रकबा 0.51, 29 रकबा 0.53, 31 रकबा 0.58, 263 रकबा 0.65, 264 रकबा 0.14, 266 रकबा 0.71, 321 रकबा 0.31, 322 रकबा 0.32 हैक्ट0

रामगढ (अलवर)

Scanned by CamScanner

वाके ग्राम पूठी बने है। जो ग्राम पूठी तहसील रामगढ कस्बा रामगढ की सीमा से लगती हुई खरीद की गई। जिसमें से आराजी साबिक खसरा नम्बर 14 रकबा रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 19 रकबा 1 बीघा, 20 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 22 रकबा 2 बीघा, 24 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 25 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 19 रकबा 0.30, 25 रकबा 0.25, 26 रकबा 0.54, 28 रकबा 0.51, 29 रकबा 0.53, 31 रकबा 0.58 हैक्ट0 ग्राम पूठी तहसील रामगढ का बेचान पूर्व में हमारे पूर्वजों द्वारा कर दिया गया तथा विवादित आराजी वर्तमान में शेष बची है। उक्त विवादित आराजी वादनी तथा असल प्रतिवादी सं0 1 ला0 5 व तरतीबी प्रतिवादीगण की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की पैत्रक दादालायी आराजी है। जिस आराजी के साबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2037–40 में वादनी के पिता श्री बालीराम के नाम का अंकन हो रहा है। विवादित आराजी में वादनी का 1/6 हिस्सा विवादित आराजी वादनी तथा असल प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिसका शामलात में मौके पर कब्जा काश्त है व राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में असल प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 4 व 6 के नाम दर्ज है। विवादित आराजी अबट है, जिसका अभी तक बहमी अथवा कानूनी तौर पर लिखित विभाजन नही हुआ है। वादनी तथा असल प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण शामलात में विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है, लेकिन कुछ समय से वादनी के पारिवारिक सदस्य असल प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 5 के मन में वादनी के प्रति बेईमानी व दुर्भावना आ गई है। इस कारण से असल प्रतिवादीगण एक साथ मिलकर जबरन कब्जा कर तथा बिना विभाजन प्लाटिंग व निर्माण कर उक्त विवादित आराजी को विक्रय कर वादनी को नुकसान पहुचाना चाहते है। अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा पाबन्द करने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण के विद्वान वकील द्वारा अपने जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि बालीराम की कस्बा रामगढ में कोई पुश्तैनी आराजी नही थी और न ही किसी पुश्तैनी आराजी को बेचान कर प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी को खरीद किया गया। मृतक बालीराम की आराजी साबिक खसरा नम्बर 14 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 19 रकबा 1 बीघा, 20 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 22 रकबा 2 बीघा, 24 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 25 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा जिसके हाल सैटलमेन्ट सम्वत 2058 में खसरा नम्बर 19 रकबा 0.30, 25 रकबा 0.25, 26 रकबा 0.54, 28 रकबा 0.51, 29 रकबा 0.53, 31 रकबा 0.58 हैक्ट0 कायम हुए है, का बेचान मृतक बालीराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 14.10.81 को कजोडीराम पुत्र रामजीलाल माली निवासी रामगढ, मु0 टुण्डो पुत्री सवाई मेव, हबीब खां, कमरूदीन पुत्रान सरजीत मेव निवासियान

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

Scanned by CamScanner

पूठी को विक्रय कर दिया था व उनके हक में इन्तकाल सं0 154, 547, 548 स्वीकार हुए उससे प्राप्त प्रतिफल से मृतक बालीराम ने परिवार के छोटे बच्चों को पढ़ाया और प्रार्थिया के विवाह में हुए कर्ज को चुकाया। आराजी खसरा नम्बर साबिक 180 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 181 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 211 मिन रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा किता 3 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा का 1/2 हिस्सा वाके ग्राम पूठी तहसील रामगढ़ मृतक बालीराम की स्वअर्जित आय से दिनांक 23.05.67 को सद्भावी तरीक पर नन्नू पुत्र गौरा कुम्हार से खरीद की थी तथा खसरा नम्बर 183 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम पूठी को रसूला खां मेव से दिनांक 16.05.1962 को खरीदा था और प्रार्थिया द्वारा इसी आराजी के बाबत दावा दायर किया गया है जिससे स्पष्ट है कि दावा अन्तर्गत आराजी पुश्तैनी अथवा दादालाई की आराजी नही है। बल्कि उक्त आराजीयात मृतक बालीराम की स्वअर्जित आय से खरीदशुदा तनहा कब्जे काश्त खातेदारी की सम्पत्ति है। जिसके सम्बन्ध में बालीराम को सम्पूर्ण रूप से हक वो अधिकार थे। मृतक बालीराम के द्वारा दिनांक 06.08.86 को प्रथम व अन्तिम पंजीकृत वसीयत अपनी स्वअर्जित चल अचल सम्पत्ति की उनके पौत्र अप्रार्थी सं0 1 ला0 3 जिनके द्वारा मृतक बालीराम अर्थात अपने दादाजी की सेवाऐं की गई थी, हक में उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर की थी तत्पश्चात दिनांक 29 अगस्त 1986 को बालीराम का स्वर्गवास हो गया। तदुपरान्त वसीयत के अनुसार बालीराम की विरासत का इन्तकाल सं0 728 दिनांक 21.07.87 को नियमानुसार दर्ज किया गया। जिसकी बखूबी जानकारी प्रार्थिया व तरतीबी प्रतिवादीगण ओर मृतक बालीराम के अन्य निकट सम्बन्धियों को आरम्भ से ही चली आ रही है। मृतक बालीराम ने अपने परिवारजन को वसीयत के बारे में अच्छी तरह बता दिया था और किसी को कोई आपत्ति नही थी। खसरा नम्बर 180 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा व 181 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 211 मिन रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा जिनके हाल नम्बर 263 रकबा 0.65, 264 रकबा 1.14 हैक्ट0, 321 रकबा 0.31, 322 रकबा 0.32 बने है। वाके ग्राम पूठी जिसमें मिन अप्रार्थी सं0 1 ला0 3 1/2 हिस्से के एवं 1/2 हिस्सा सहकाश्तकार हीरालाल पुत्र चन्दू के कब्जे काश्त खातेदारी की थी, के द्वारा अन्तर्गत धारा 53 (2) आरटीएक्ट के तहत विभाजन की कार्यवाही की गई है, जिसके तहत दिनांक 16.01.12 को बंटवारा किया जिस विभाजन के मुताबिक खसरा नम्बर 264 रकबा 1.14 हैक्ट0 तन्हा हीरालाल पुत्र चन्दू को दी गई जो मौजूदा खरीददार अप्रार्थी सं0 6 को बेचान किया जा चुका है तथा शेष आराजी खसरा नम्बर 263, 266, 321, 322 तन्हा अप्रार्थी सं0 1 ला0 3 की तन्हा कब्जे काश्त खातेदारी है जिसमें खसरा नम्बर 266 अलग से खरीदशुदा है इस प्रकार राजस्व अभिलेख में विभाजन एवं

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

खरीदशुदा का इन्द्राज में अप्रार्थी सं0 1 ला0 3 को खातेदार दर्ज किया हुआ है। मिन अप्रार्थी सं0 1 ला0 3 द्वारा अपने हक व अधिकार के अन्तर्गत ख0 नं0 321 रकबा 0.31, 322 रकबा 0.32 किता 2 रकबा 0.63 हैक्ट0 वाके ग्राम पूठी को अप्रार्थी सं0 4 को विक्रय कर दिया और अप्रार्थी सं0 4 सदभावी क्रेता की हैसियत से काबिज होकर काश्त कर रही है और मौके पर उसका कब्जा है तथा ख0 नं0 263 व 266 के मिन अप्रार्थी स0 1 ला0 3 आज भी खातेदार काबिज काश्तकार है। वसियत को मौजूदा वाद में कोई चुनौती नही दी गई है और नही वसियत के आधार पर जो इन्तकाल सं0 728 दर्ज किया गया उसे कोई चुनौती नही दी गई है। न कोई कानूनी कार्यवाही की गई है तथा प्रार्थिया कानूनन मजाजदावी नही है। मिन अप्रार्थी सं0 1 ला0 3 से जो बयनामा अप्रार्थी सं0 4 को दिनांक 19.02.14 को किया उसे भी किसी प्रकार की चुनौती नही दी गई है। प्रार्थिया द्वारा 53 (2) आरटीएक्ट के तहत हुए विभाजन को भी कोई चुनौती नही दी गई हैं। ऐसी सूरत में प्रार्थिया का दावा दायर करने का अधिकार प्राप्त नही है न वह कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारणी है। स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष भी प्रार्थिया रिकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ प्राप्त करने का अधिकारिणी नही है। प्रार्थिया कानूनन मजदावी नही है प्रार्थिया ने मिथ्या व बेबुनियाद दावा करके मिन अप्रार्थीगण को नाहक तंग परेशान किया है व खर्चे से जेरबार किया है। इसलिए दावा प्रार्थिया खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो एवं उभयपक्ष के विद्वान वकुलाय की बहस पर मनन किया। जिससे प्रतीत होता है कि मृतक बालीराम की कस्बा रामगढ में कोई पुश्तैनी आराजी नही थी और न ही किसी पुश्तैनी आराजी को बेचान कर प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी को खरीद किया गया। विवादित आराजीयात का बेचान मृतक बालीराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 14.10.81 को कजोडीराम पुत्र रामजीलाल माली निवासी रामगढ़, मु0 टुण्डो पुत्री सवाई मेव, हबीब खां, कमरूदीन पुत्रान सरजीत मेव निवासियान पूठी को विक्रय कर दिया था । आराजी खसरा नम्बर साबिक 180 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 181 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 211 मिन रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा किता 3 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा का 1/2 हिस्सा वाके ग्राम पूठी तहसील रामगढ मृतक बालीराम ने दिनांक 23.05.67 को सद्भाविक तरीक पर नन्नू पुत्र गौरा कुम्हार से खरीद की थी तथा खसरा नम्बर 183 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम पूठी को रसूला खां मेव से दिनांक 15.05.1963 को खरीदा था और प्रार्थिया द्वारा इसी आराजी के बाबत दावा दायर किया गया है जिससे स्पष्ट है कि दावा अन्तर्गत आराजी पुश्तैनी अथवा दादालाई की आराजी नही है। बल्कि उक्त आराजीयात मृतक बालीराम की खरीदशुदा

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

Scanned by CamScanner

तन्हा कब्जे काश्त खातेदारी की सम्पति है। जिसके सम्बन्ध में बालीराम को सम्पूर्ण रूप से हक वो अधिकार थे। मृतक बालीराम के द्वारा दिनांक 06.08.86 को प्रथम व अन्तिम पंजीकृत वसीयत अपनी खरीदशुदा चल अचल सम्पत्ति की उनके पौत्र अप्रार्थी सं0 1 ला0 3 जिनके द्वारा मृतक बालीराम की सेवाऐं थी, दिनांक 29 अगस्त 1986 को बालीराम का स्वर्गवास हो गया। वसीयत के अनुसार बालीराम की विरासत का इन्तकाल सं0 728 दिनांक 21.07.87 को नियमानुसार दर्ज किया गया। जिसकी बखूबी जानकारी प्रार्थिया व तरतीबी प्रतिवादीगण ओर मृतक बालीराम के अन्य निकट सम्बन्धियों पहले से ही थी। और किसी को कोई आपत्ति नही थी। खसरा नम्बर 180 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा व 181 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 211 मिन रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा जिनके हाल नम्बर 263 रकबा 0.65, 264 रकबा 1.14 हैक्ट0, 321 रकबा 0.31, 322 रकबा 0.32 बने है। वाके ग्राम पूठी जिसमें अप्रार्थी सं0 1 ला0 3 1/2 हिस्से के एवं 1/2 हिस्सा सहकाश्तकार हीरालाल पुत्र चन्दू के कब्जे काश्त खातेदारी की थी, के द्वारा अन्तर्गत धारा 53 (2) आरटीएक्ट के तहत विभाजन की कार्यवाही की गई है, जिसके तहत दिनांक 16.01.12 को बंटवारा किया जिस विभाजन के मुताबिक खसरा नम्बर 264 रकबा 1.14 हैक्ट0 तन्हा हीरालाल पुत्र चन्दू को दी गई जो मौजूदा खरीददार अप्रार्थी सं0 6 को बेचान किया जा चुका है तथा शेष आराजी खसरा नम्बर 263, 266, 321, 322 तन्हा अप्रार्थी सं0 1 ला0 3 की तन्हा कब्जे काश्त खातेदारी है जिसमें खसरा नम्बर 266 अलग से खरीदशुदा है इस प्रकार राजस्व अभिलेख में विभाजन एवं खरीदशुदा का इन्द्राज में अप्रार्थी सं0 1 ला0 3 को खातेदार दर्ज किया हुआ है। अप्रार्थी सं0 1 ला0 3 द्वारा अपने हक व अधिकार के अन्तर्गत ख0 नं0 321 रकबा 0.31, 322 रकबा 0.32 किता 2 रकबा 0.63 हैक्ट0 वाके ग्राम पूठी को अप्रार्थी सं0 4 को विक्रय कर दिया और अप्रार्थी सं0 4 सदभावी क्रेता की हैसियत से काबिज होकर काश्त कर रही है और मौके पर उनका कब्जा है तथा ख0 नं0 263 व 266 के अप्रार्थी सं0 1 ला0 3 आज भी खातेदार काबिज काश्तकार है। वसियत को मौजूदा वाद में कोई चुनौती नही दी गई है और नही वसियत के आधार पर जो इन्तकाल सं0 728 दर्ज किया गंया उसे कोई चुनौती नही दी गई है। न कोई कानूनी कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी सं0 1 ला0 3 ने जों बयनामा अप्रार्थी सं0 4 को दिनांक 19.02.14 को किया उसे भी किसी प्रकार की चुनौती नही दी गई है। प्रार्थिया द्वारा 53 (2) आरटीएक्ट के तहत हुए विभाजन को भी कोई चुनौती नही दी गई हैं। ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीनों शर्ते प्रथम दृष्टया केस, सता का संतुलन एवं

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

Scanned by CamScanner

अपूर्णीय क्षति प्रार्थिनी के बजाय अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होती है इसलिए प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीनों शर्तें प्रथम दृष्टया केस, सता का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थिनी के बजाय अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होती है इसलिए प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/04/19

(महेश चन्द्र मान)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़(अलवर)

Scanned by CamScanner